भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 242
18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: डिजिटल कृषि मिशन के तहत किसान पहचान-पत्र बनाना

***242. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरीः**

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) डिजिटल कृषि मिशन के तहत आंध्र प्रदेश में किसान पहचान-पत्र बनाने के लिए लक्षित किसानों की कुल संख्या कितनी है तथा अन्य अग्रणी राज्यों के आंकड़ों की तुलना में यह संख्या कितनी है;

(ख) उक्त पहचान-पत्र बनाने में आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के प्रदर्शन के लिए उन्हें प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्धारित समयावधि में ये पहचान-पत्र बनाने के लिए आंध्र प्रदेश में लागू किए गए विशिष्ट तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रियागत सुधारों का ब्यौरा क्या है और अन्य राज्य इन उपायों को किस तरह अपना सकते हैं;

(घ) मृदा स्वास्थ्य, फसल विविधीकरण और जल संरक्षण जैसी क्षेत्र-विशिष्ट कृषि चुनौतियों के समाधान के लिए किसान पहचान-पत्रों के माध्यम से प्रदत्त व्यक्तिगत कृषि विस्तार सेवाओं को किस प्रकार तैयार किया जा रहा है; और

(ङ) इन पहचान-पत्रों को बनाने के दौरान संग्रहित किए गए आंकड़ों की सटीकता और गुणवत्ता का मूल्यांकन करने संबंधी निगरानी ढांचे का ब्यौरा क्या है और राज्य स्तर पर विसंगतियों को किस प्रकार दूर किया जा रहा है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"डिजिटल कृषि मिशन के तहत किसान पहचान-पत्र बनाना" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 18.03.2025 को उत्तरार्थ डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरीः द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 242 के भाग (क) से (ङ) का उल्लिखित विवरण

(क): एग्रीस्टैक का एक घटक राज्य किसान रजिस्ट्री है, अतः जिसे एक फ़ेडेरेटेड आर्किटेकचर में तैयार किया जाता है। इस प्रकार, संबंधित राज्य के पास आंकड़े रखे जाते हैं। किसान डेटाबेस में सभी भू-धारक किसानों को शामिल किया जाता है। राज्य नीति के अनुसार, राज्य काश्तकार और पट्टेदार किसानों को किसान रजिस्ट्री में शामिल करने का निर्णय भी ले सकता है। दिनांक 17 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार, इस मंत्रालय के पास उपलब्ध आंध्र प्रदेश राज्य के 60,02,607 किसानों की संख्या में से में कुल 37,65,463 किसानों की आईडी तैयार कर दी गई है। कई अग्रणी राज्यों द्वारा तैयार की गई किसान आईडी का विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है।

(ख): राज्यों को एग्री स्टैक के तहत राज्य किसान रजिस्ट्री बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, भारत सरकार ने 5,000 करोड़ रुपये विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) के रूप में आवंटित किए हैं। यह प्रोत्साहन, राज्यों में सृजित किसान आईडी से लिंक्ड है और सभी राज्यों को 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर उपलब्ध है। वर्तमान में, भारत सरकार ने पीएम किसान डेटाबेस के 50% किसान आईडी बनाने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य को 187,58,14,688 रुपये की राशि के लिए विशेष केंद्रीय सहायता देने के लिए वित्त मंत्रालय से सिफारिश की है।

(ग): किसान आईडी के बनाने में तेजी सुनिश्चित करने के लिए आंध्र प्रदेश ने स्थानीय रायथु सेवा केंद्रों के माध्यम से शिविर आयोजित करने में अपनी प्रशासनिक तंत्र पर निर्भर किया है। राज्य सरकार ने किसान आईडी बनाने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट तकनीकी और प्रशासनिक उपाय किए हैं:
I. कृषि भूमि के संयुक्त स्वामित्व पर निर्णयों को उचित रूप से निपटान।
II. लाइव आधार पर स्टेट रिकॉर्ड ऑफ राइट (आरओआर) प्रणाली के साथ संयोजन।
III. भू-धारक किसान की मृत्यु के पश्चात् कृषि भूमि के कानूनी उत्तराधिकारियों का अद्यतन।
IV. शिविरों के दौरान मुद्दों के समाधान के लिए हेल्प डेस्क और संचार चैनलों की स्थापना।
V. आरओआर और किसान रजिस्ट्री के बीच डेटा के आसान आदान-प्रदान की सुविधा के लिए आरओआर प्रणाली में किसान आईडी को शामिल करना है।

(घ): राज्य द्वारा प्रस्तावित कृषि विस्तार सेवाओं की सुविधा के लिए किसान आईडी के साथ विभिन्न उपयोग के मामले हैं:
I. मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन: मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर अनुकूल मृदा परीक्षण और मृदा परीक्षण सलाहकार सेवाएँ।
II. फसल विविधीकरण कार्यनीतियाँ: जलवायु पैटर्न और बाज़ार की माँग के आधार पर फसल-विशिष्ट परामर्शिका।
III. जल संरक्षण उपाय: लक्षित जल संरक्षण योजनाएँ और कुशल जल उपयोग संबंधी परामर्शिका। प्रभावी वितरण सुनिश्चित करने के लिए इन सेवाओं को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, मोबाइल एप्लिकेशन और फ़ील्ड एक्सटेंशन कार्यक्रमों में एकीकृत किया गया है। राज्य विभिन्न प्रकार की किसान सलाह के प्रसार के लिए आंध्र प्रदेश कृषि सूचना प्रबंधन प्रणाली (एपीएआईएमएस) में किसान आईडी को अपनाएगा।

IV. बेहतर समावेशन - बेहतर अपवर्जन - विभिन्न स्कीमों के माध्यम से सार्वजनिक धन के न्यायिक उपयोग के लिए सही योजना के लिए सही लाभार्थी की पहचान।

(ङ): किसान पहचान डेटा की प्रामाणिकता और सटीकता बनाए रखने के लिए, निम्नलिखित निगरानी तंत्र स्थापित किए गए हैं:

I. ग्राम स्तरीय कृषि/बागवानी/रेशम पालन सहायक संचालक है। लगभग 10,000 कर्मचारी हैं और किसान अपने गांव में ही अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।

II. जब भी नाम मिलान स्कोर 80% से कम होता है, तो ग्राम राजस्व अधिकारी सत्यापनकर्ता होता है।

III. प्रत्येक किसान पंजीकरण हेतु तहसीलदार अनुमोदनकर्ता है।

IV. शिकायत निवारण तंत्र: किसानों को विसंगतियों की रिपोर्ट करना और त्रुटि में सुधार उप-जिला (मंडल) कृषि अधिकारी द्वारा किया जाता है।

V. वास्तविक समय त्रुटि पहचान प्रणाली: किसान पंजीकरण करते समय विसंगतियों की जाँच करने के लिए एपीएफआर स्वचालित है।

VI. पहचान की गई विसंगतियों को समर्पित राज्य-स्तरीय समीक्षा समितियों के माध्यम से समाधान किया जाता है और डेटा की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए सुधारात्मक उपाय क्रियान्वित किए जाते हैं। स्कीमों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए अन्य सरकारी डेटाबेस के साथ क्रॉस-वेरिफिकेशन किया जाता है। क्रॉस-वेरिफिकेशन के लिए डेटा को ई-क्रॉप बुकिंग डेटा और पीएम-किसान डेटाबेस के साथ सत्यापित किया जाता है।

लो.स.ता.प्र.सं.242
अनुबंध

राष्ट्रव्यापी प्रगति: 17.03.2025 तक राज्य किसान रजिस्ट्री

क्र.सं.	राज्य	लाक्षित किसानों की संख्या	सृजित किसान आईडी की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	60,02,607	37,65,463
2	असम	24,87,399	3,39,896
3	बिहार	86,36,562	1,063
4	छत्तीसगढ	40,08,908	15,78,475
5	गुजरात	66,21,097	40,53,069
6	मध्य प्रदेश	95,18,752	66,74,316
7	महाराष्ट्र	1,19,11,984	77,10,155
8	ओडिशा	44,38,559	1,51,426
9	राजस्थान	90,19,695	48,47,589
10	तमिलनाडु	46,76,080	21,01,272
11	उत्तर प्रदेश	2,88,70,495	1,23,25,877

******